डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उप जिला कलक्टर टोडाभीम

इजलास दुर्गा प्रसाद मीना (आर.ए.एस)

1. भगवान सहाय पुत्र दुर्गा प्रसाद
2. हनुमान सहाय पुत्र दुर्गा प्रसाद

समस्त जाति ब्राहामण निवासी मूंडिया तहसील टोडाभीम।

वादी

बनाम

1. धर्मसिंह पुत्र प्यारसिंह
2. बचनसिंह पुत्र प्यारसिंह
3. रामधार पुत्र प्यारसिंह
4. पवन पुत्र राजेश्वर
5. दीपक पुत्र राजेश्वर
6. मु0 मुन्नो पत्नि राजेश्वर

समस्त जातियान गूर्जर निवासीयान मूंडिया तहसील टोडाभीम।

7. नायब तहसीलदार बालघाट जिला करौली।
8. तहसीलदार टोडाभीम।
9. सरकार जरिए जिला कलक्टर करौली।

प्रतिवादीगण

दावा वावत इस्तरारहक (इन्द्राज दुरूस्ती) एवं स्थाई निषेधाज्ञा मु0न0. 65 सन 2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबई श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट व हाजरी ....—.......... मिनकानिब गुदई रूबरू.हमारे मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व प्राथमिक डिक्री दी जाती है। कि

अतः वादीगण का दावा वावत इस्तकरारहक (इन्द्राज दुरूस्ती) एवं स्थाई निषेधाज्ञा डिक्री किया जाता है। ग्राम मूंडिया की आराजी ख0न0 243 रकवा 0.78 है0 मे से हरहंस, प्यारसिंह पि0 रघुवर जाति गूर्जर की खातेदारी हजफ की जाती है। तथा ख0न0 243 रकवा 0.78 है0 ग्राम मूंडिया मे वादीगण भगवानसहाय, हनुमानसहाय पि0 दुर्गा जाति ब्राहामण निवासी मूंडिया को हिस्सा बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि उक्त आराजीतया मे वादीगण के कब्जेकाश्त मे किसी भी प्रकार से मजाहमत मदाखलत नही करे एव न किसी अन्य से करावे।

नि..... मुबलिंग.........—.........बाबत.........—.........खर्चा इस मुकदमे के मय शूद बशरह..........फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक.......—.....अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 10.06.2019 को जारी की गई।

10/6/19

दस्तखत....उपजिला कलक्टर टोडाभीम (करौली)

ओहदा..............................

(मुहर: कार्यालय उपजिला कलक्टर टोडाभीम (करौली) राज०)

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकाल नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			म्हनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			वावत इजराय हुक्मनामा		
ववत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					

Scanned by CamScanner

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

मु0न0 65/18 तारीख रजू:– 05. 6.18

~~06.18~~

पीठासीन अधिकारीः– दुर्गा प्रसाद मीना (आर. ए.एस)

उनवान

1. भगवान सहाय पुत्र दुर्गा प्रसाद
2. हनुमान सहाय पुत्र दुर्गा प्रसाद
   समस्त जाति ब्राहामण निवासी मूंडिया तहसील टोडाभीम।

वादी

बनाम

1. धर्मसिंह पुत्र प्यारसिंह
2. बचनसिंह पुत्र प्यारसिह
3. रामधार पुत्र प्यारसिंह
4. पवन पुत्र राजेश्वर
5. दीपक पुत्र राजेश्वर
6. मु0 मुन्नो पत्नि राजेश्वर
   समस्त जातियान गूर्जर निवासीयान मूंडिया तहसील टोडाभीम।
7. नायब तहसीलदार बालघाट जिला करौली।
8. तहसीलदार टोडाभीम।
9. सरकार जरिए जिला कलक्टर करौली।

प्रतिवादीगण

दावा वावत इस्तकरारहक (इन्द्राज दुरूस्ती) एवं स्थाई निषेधाज्ञा
उपस्थितिः– श्री सुरेश चन्द शर्मा (वादी)

निर्णय **दिनांकः– 10.06.2019**

संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि आराजी ख0न0 243/0.78है0 ग्राम मूडिया की वर्तमान मे खातेदारी प्रतिवादीगण के बुजुर्ग हरहंस, प्यारसिंह पि0 रधुवर गूर्जर के नाम दर्ज है। उक्त ख0न0 भू–प्रबन्ध कर्मचारीयो ने साबिक ख0न0 299 रकवा 1 बीधा 7 विस्वा, एवं 301 रकवा 1बीधा 15 विस्वा से बनाए है। उक्त साबिक ख0न0 की खातेदारी हरहंस, प्यारसिह पि0 रधुवर गूर्जर के नाम थी। उक्त आराजी की खातेदारी नामांतकरण संख्या 986 दिनांक 14.02. 1983 से वादीगण के पिता व ताउ रामसहाय व दुर्गा के नाम खुल गई थी, तथा जमाबन्दी सम्वत 2038–41 मे अमल हो चुका था। लेकिन दौराने भू–प्रबन्ध कार्यवाही नवीन रिकार्ड बनाते समय साबिक ख0न0 299, 301 से नवीन ख0न0 243 बना दिया, लेकिन खातेदारी मे नामांतकरण के अमल का नोट के आधार पर खातेदारी नही करके पूर्व के खातेदारो के नाम कर दिया। सेटलमेन्ट कर्मचारीयो को खातेदारी हजफ करने का किसी प्रकार का कोई हक नही था। इस प्रकार यह की गई कार्यवाही अवनीसियो बोईड व प्रभावहीन वादीगण है। वादीगण उक्त आराजी की खातेदारी कराने के हकदार है। वादीगण के बुजुर्ग रामसहाय व दुर्गा फौत हो चुके है। रामसहाय उर्फ रामस्वरूप लाऔलाद फौत हुए है। दर्गा के वादीगण वारिसान है। इसी प्रकार पूर्व खातेदार हरहंस,प्यारसिंह फौत हो चुके है। हरहंस लाऔलाद फौत हुआ है। प्यारसिंह के वारिसान प्रतिवादीगण है। उक्त आराजी ख0न0 243 रकवा 0.78 ग्राम मूंडिया वादीगण के कब्जेकाश्त की जमीन है। इस भूमि के संबध मे कोई विवाद नही रहा है। रिकार्ड की आवश्यकता पडने पर दिनांक 20.4.18 को रिकार्ड देखने पर गलती का पता चला है। प्रतिवादी गण से इस वावत रिकार्ड दुरूस्त कराने की कहने पर उन्हौने इन्कार कर दिया इस कारण दावा पेश करना आवश्यक हुआ है। अतः दावा वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर आराजी ख0न0 243 रकवा 0.78 है0 ग्राम मूंडिया के वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। तथा उक्त आराजीयात मे वादीगण के कब्जेकाश्त मे

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण वावजूद सूचना उपस्थित नही हुए इसलिए इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई। वादपत्र के समर्थन मे वादीगण ने शपथ पत्र प्रस्तुत किए। वादीगण ने नकल जमाबन्दी सम्वत 2072–75 प्रदर्श–1, मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2043–62 प्रदर्श–2, नकल जमाबन्दी सम्वत अपठनीय प्रदर्श–3, नामांतकरण संख्या प्रदर्श–4 नकल जमाबन्दी आधार वर्ष सम्वत 2052 प्रदर्श–5 प्रस्तुत की है।

वादीवकील ने बहस करते हुए वादपत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराया। दौराने बहस नकल जमाबन्दी सम्वत 2073–78 नामांतकरण संख्या 173 मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2043–62, नकल जमाबन्दी सम्वत 2037–40 प्रस्तुत की है। तथा यह भी कथन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के बुजुर्गान द्वारा जमीन का बदल पत्र किया गया है। वादीगण के बुजुर्गान की भूमि की खातेदारी प्रतिवादीगण के बुजुर्गान के नाम हो चुकी है, किन्तु वादीगण के नाम हुई भूमि के नामांतकरण का नोट जमाबन्दी मे अंकित होने के बाद सेटलमेन्ट कर्मचारीयो द्वारा दौराने सेटलमेन्ट वादीगण के नाम इन्द्राज नही कर प्रतिवादीगण के बजुर्गान के नाम कर दिया जबकि बदलपत्र दिनांक से ही वादीगण के बजुर्ग एवं वादीगण काबिज काश्त है। अतः वादी का दावा डिक्री कर आराजी ख0न0 243 रकवा 0.78 है0 ग्राम मूडिया मे से प्रतिवादीगण के नाम हजफ कर वादीगण को खातेदार घोषित किया जावे तथा इनको स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे।

वादी वकील की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया पत्रावली मे शामिल दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। नामांतकरण संख्या 173 ग्राम मजीदपुरा एवं 986 ग्राम मूंडिया का अवलोकन किया गया। नामांतकरण सख्या 986 ग्राम मूंडिया के अनुसार साबिक ख0न0 299, 301 हरहंस, प्यारसिह पि0 रधुवर जाति गूर्जर के स्थान पर रामसहाय दुर्गा पि0 मोती जाति ब्रहामण के नाम दर्ज हुआ। इस नामांतकरण का अंकन जमाबन्दी ग्राम मूंडिया सम्वत अपठनीय के खाता संख्या 463 मे किया हुआ है। तथा नामांतकरण संख्या 173 ग्राम मजीदपुरा का अवलोकन किया गया। जिसके अनुसार साबिक ख0न0 21 रामस्वरूप, दुर्गा पि0 मोती जाति ब्राह्मण मे स्थान पर हरहंस प्यारसिंह पि0 रधुवर जाति गूर्जर के नाम स्वीकार हुआ। साबिक ख0न0 21 से नवीन ख0न0 94 रकवा 0.24 है0, ख0न0 95 रकवा 0.27 है0 कायम हुए है। वर्तमान जमाबन्दी सम्वत 2073–76 मे उक्त ख0न0 94,95 की खातेदारी हरहंस, प्यारसिंह पि0 रधुवर के नाम दर्ज है। मुताबिक मिलान क्षेत्रफल ग्राम मूंडिया के साबिक ख0न0 299 एवं 301 से नवीन ख0न0 243 रकवा 0.78 है0 कायम हुए है। जमाबन्दी ग्राम मूंडिया सम्वत 2072–75 के खाता संख्या 650 मे ख0न0 243 रकवा 0.78 है0 की खातेदारी भी हरहंस, प्यारसिंह पि0 रधुवर के नाम दर्ज हो रही है। इस प्रकार वादीगण के नाम बदलपत्र से प्राप्त हुई भूमि साबिक ख0न0 299,301 से नवीन बने ख0न0 243 रकवा 0.78 है0 की खातेदारी प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हो रही है। तथा प्रतिवादीगण के नाम बदलपत्र से प्राप्त हुई भूमि साबिक ख0न0 21 से बने नवीन ख0न0 94, 95 की खातेदारी भी प्रतिवादीगण के नाम है। अतः स्पष्ट है कि नामांतकरण संख्या 986 ग्राम मूंडिया का अमल भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा हाल रिकार्ड मे नही किया गया है, जिसका अमल किया जाना न्यायोचित है।

उक्त विवेचन के अनुसार वादीगण का दावा डिक्री किए जाने योग्य है। अतः वादीगण का दावा वावत इस्तकरारहक (इन्द्राज दुरूस्ती) एवं स्थाई निषेधाज्ञा डिक्री किया जाता है। ग्राम मूंडिया की आराजी ख0न0 243 रकवा 0.78 है0 मे से हरहंस, प्यारसिंह पि0 रधुवर जाति गूर्जर की खातेदारी हजफ की जाती है। तथा ख0न0 243 रकवा 0.78 है0 ग्राम मूंडिया मे वादीगण भगवानसहाय, हनुमानसहाय पि0 दुर्गा जाति ब्राहामण निवासी मूंडिया को हिस्सा बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि उक्त आराजीतया मे वादीगण के कब्जेकाश्त मे किसी भी प्रकार से मजाहमत मदाखलनत नही करे एव न किसी अन्य से करावे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 10.06.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(दुर्गा प्रसाद मीना)
उपजिला कलेक्टर
उपखण्ड अधिकारी
टोडाभीम (करौली)
टोडाभीम जिला करौली

Scanned by CamScanner